Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to include certain castes of Chhattisgarh in the list of Scheduled Castes.

श्री मोहन मण्डावी (कांकेर): महोदय, छतीसगढ़ में माहार, महारा, माहारा जाति के लोग निवासरत हैं, जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति में महार, मेहर, मेहरा को पंजीयन क्रमांक-33 में अधिसूचित किया गया है, जबकि दोनों जाति एक ही हैं। छतीसगढ़ी भाषा में महार को ही महरा, माहरा, महारा जाति से संबोधित करते हैं, जो कि महार जाति का ही अपभ्रंश है। छतीसगढ़ राज्य में जब भाजपा की सरकार थी, तब तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सरलीकरण कर माहरा, महारा, माहारा जाति को प्रमाण पत्र देने हेतु आदेशित किया। किन्तु कुछ लोगों के द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में प्रकरण दायर कर निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। तब से अब तक इस वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है।

केन्द्र को वर्ष 2004, 2008, 2010 में भेजे गए प्रस्तावों में पर्याप्त मात्रा में मानव शास्त्रीय रिपोर्ट एवं संदर्भ साहित्य संलग्न नहीं था। हमारे समाज के लोगों में भी अशिक्षा पिछड़ेपन होने के कारण भारत के महापंजीयक (आरजीआई) आपत्तियों को नहीं समझ पाए। उक्त वर्ष में भेजे गए प्रस्ताव को भारत के महापंजीयक द्वारा खारिज कर दिया गया, परंतु 13 जून, 2016 को भेजे गए प्रस्ताव में पर्याप्त मात्रा में मानव शास्त्रीय रिपोर्ट संदर्भ साहित एवं अन्य शासकीय दस्तावेज संलग्न कर भेजा गया था। जिसमें महरा, माहरा जाति की उत्पति पहचान और अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने से पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं।

अत: छतीसगढ़ के उक्त वर्ग की माँग को सदन के माध्यम से संज्ञान में लेते हुए नियमत: उचित कार्रवाई की माँग करता हूँ।